न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी दीपक मित्तल आर.ए.एस.)

मुकदमा नं0:–284/24

घनश्याम पुत्र विस्सू, जाति जाटव, निवासी ध्वजा मौरोली तहसील बयाना भरतपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत कैर तागील जरिये सरपंच महोदय ग्राम पंचायत कैर तहसील बयाना, जिला भरतपुर
2. केशन्ती पुत्री रघुवर पत्नि लक्ष्मण, जाति जाटव, निवासी नारौली तहसील बयाना जिला भरतपुर
3. मानसिंह पुत्र परभाती, जाति जाटव, निवासी ध्वजा मौरोली तहसील बयाना
4. धनपाल पुत्र परभाती, जाति जाटव, निवासी ध्वजा मौरोली तहसील बयाना

.....रैस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व नामान्तकरण संख्या 1225 दिनांक 20.03.2018 व नामान्तकरण संख्या 167 निर्णय दिनांक 15.12.2000 ग्राम पंचायत कैर तहसील बयाना

निर्णय

दिनांकः– 10/9/24

उपस्थितिः– श्री लक्ष्मण प्रसाद शर्मा एड0 अपीलान्ट
श्री नन्दकिशोर शर्मा एड0 रेस्पोडेन्टस संख्या 2, 3, 4

अपीलान्ट द्वारा अपील विरूद्व नामान्तकरण संख्या 1225 दिनांक 20.03.2018 व नामान्तकरण संख्या 167 निर्णय दिनांक 15.12.2000 ग्राम पंचायत कैर तहसील बयाना पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्ट के बाबा श्री भम्बल का स्वर्गवास हो चुका है जिसने अपने पीछे चार पुत्र विस्सू, परभाती, शिवली व रघुवर छोडे थे जिनका भी स्वर्गवास हो चुका है। श्री विस्सू ने अपने पीछे अपीलान्ट घनश्याम व तीन पुत्रियॉ सौमोती, अंगूरी व पूनी व विधवा पत्नि विशनी छोडे थे तथा स्वर्गीय परभाती ने अपने पीछे मूल रैस्पोडेन्ट धनपाल व मानसिंह छोडे है तथा स्वर्गीय शिवली ने अपने पीछे दो पुत्र मोहन व रमेश छोडे है तथा स्वर्गीय रघुवर ने अपने पीछे हरख्याल, अमरलाल बसन्ती व केशन्ती छोडे है जो मृतकों की छोडी हुई चल व अचल सम्पत्ति पर काबिज है। स्वर्गीय भम्बल का सजरा अपील में पेश किया गया है। स्वर्गीय भम्बल द्वारा छोडी हुई आराजी खसरा नम्बरा 1525 रकवा 0.25, 1526 रकवा 0.02, 1527 रकवा 0.02, 1528 रकवा 0.02, 1529 रकवा 0.25, 1530 रकवा 0.02, 1531 रकवा 0.10, 1532 रकवा 0.30, 1533 रकवा 0.12, 1534 रकवा 0.10, 1535 रकवा 0.30, 1536 रकवा 0.25, 1537 रकवा 0.30, 1538 रकवा 0.30, 1539 रकवा 0.05, 1540 रकवा 0.39, 1541 रकवा 0.30, 1542 रकवा 0.01, 1543 रकवा 0.65, 1544 रकवा 1.76, 764 रकवा 0.70 किता कुल रकवा 7.48 हैक्ट. वाके ग्राम कैर तहसील बयाना में स्थित है। श्री भम्बल के स्वर्गवास होने के बाद अपीलान्ट के पिता विस्सू 1/4 हिस्स, परभाती के स्वर्गवास हो जाने पर रैस्पोडेन्ट के पुत्र धनपाल व मानसिंह उसके 1/4 हिस्सा पर, शिवली के स्वर्गवास हो जाने पर उसके 1/4 हिस्से पर उसके पुत्र मोहन व रमेश, रघुवर के स्वर्गवास हो जाने पर उसके 1/4 हिस्से पर उसके पुत्र हरख्याल व अमरलाल व पुत्री बसन्ती व केशन्ती को विरासत में प्राप्त हुआ था और इसी प्रकार अपने अपने हिस्से अनुसार अपने जीवनकाल तक बहैसियत स्वर्गवास के बाद उक्त आराजी में निहित 1/4 हिस्सा अपीलान्ट व उसकी पुत्री सौमोती, अंगूरी व पूनी व विधवा पत्नि विशनी को विरासत में प्राप्त हुआ। मृतक विस्सू की पुत्री सौमोती, अंगूरी, पूनी अपीलान्ट की बहन थी, ने अपना हिस्सा अपीलान्ट के हक में दिनांक 23.11.2005 को

उप खण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर) राज.

जरिये रजिस्टर्ड रिलीज डीड दे दिया तथा अपीलान्ट की माँ श्रीमती विशनी का स्वर्गवारा हो जाने पर उक्त सम्पूर्ण 1/4 हिस्सा का अपीलान्ट खातेदार काश्तकार हो गया और बहैसियत खातेदार काश्तकार आज तक काबिज चला आ रहा है। रैस्पोडैन्ट केशन्ती जो रघुवर की पुत्री है ने चार सौ बीसी व छल कपट पूर्वक पटवारी हल्का व सरपंच ग्राम पंचायत कैर को अपनी साजिश में शामिल करते हुए अपीलान्ट के पिता विस्सू के स्वर्गवारा के बाद उसका विरासत का नामान्तकरण संख्या 167 विस्सू की पुत्री बनते हुए सरपंच ग्राम पंचायत व पटवारी हल्का से साज करके तस्दीक करा लिया। रैस्पोडेन्ट केशन्ती ने पटवारी हल्का व सरपंच ग्राम पंचायत कैर को अपनी षडयंत्र में शामिल करते हुए उक्त गलत व खिलाफ मौका के कराये गये नामान्तकरण संख्या 167 के आधार पर दो फिक्टीशियस विक्रय पत्र दिनांक 09.03.2018 को रैस्पोडेन्ट धनपाल व मानसिंह के हक में रजिस्टर्ड करा दिये थे जो कि अपीलान्ट के मुकाबले में सर्वथा अनाधिकृत अवैधानिक व नल एण्ड वोईड तथा शून्य व बेअसर है। उक्त विवादित आराजी से 1/12 हिस्से का रैस्पोडेन्ट केशन्ती द्वारा रैस्पोडेन्ट धनपाल व मानसिंह के हक में दिनांक 09.03.2018 को विक्रय पत्र तहरीर व रजिस्टर्ड कराये है उक्त 1/12 हिस्से की बाबत रैस्पोडेन्ट केशन्ती को वयनामा रजिस्टर्ड कराने का कोई अधिकार नहीं था क्योंकि वह मृतक विस्सू की पुत्री नहीं थी बल्कि वह रघुवर की पुत्री थी। उक्त आराजीयात में निहित 1/4 हिस्से पर अपीलान्ट बहैसियत खातेदार काश्तकार आज तक काबिज चला आ रहा है। रैस्पोडेन्ट केशन्ती द्वारा जो विक्रय पत्र दिनांक 09.03.2018 को तहरीर व रजिस्टर्ड कराये है वह सरासर शून्य व बेअसर है व सरासर अनाधिकृत व अवैधानिक है जिसके जरिये रैस्पोडेन्ट धनपाल व मानसिंह को कोई हकूक खातेदारी काश्तकारी के प्रापत नहीं होते है। और न मौके पर कोई कब्जा दिया है। अपीलान्ट के पिता श्री विस्सू पुत्र भम्बल जाति जाटव निवासी ध्वजा मौरोली तहसील बयाना का स्वर्गवास दिनांक 10.08.1996 को हो गया है रैस्पोडेन्ट केशन्ती मृतक विस्सू की पुत्री नहीं है अतः उक्त नामान्तकरण संख्या 167 निर्णय तारीख 15.12.2000 के जरिये 1/12 हिस्सा की हद तक रैस्पोडेन्ट संख्या दो केशन्ती के हक में किया है वह सर्वथा गलत व गैर कानूनी है जिसके कायम रहने से अपीलान्ट की खातेदारी काश्तकारी पर भारी प्रतिकूल प्रभाव पडता है। अपीलान्ट व्यथित व्यक्ति है। नामान्तकरण 167 व 1225 ग्राम पंचायत कैर तहसील बयाना से व्यथित होकर यह अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत की है:— उक्त नामान्तकरण संख्या 1225 व 167 जेर अपील तारीख 20.03.2018 व 12.12.2000 ग्राम पंचायत कैर तहसील बयाना पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व प्रकरण की परिस्थतियों के व विधि प्रावधानों के सर्वथा प्रतिकूल है जो निरस्त योग्य है। योग्य अधीनस्थ ग्राम पंचायत कैर के आदेश जेर अपील पारित होने से पूर्व मृतक विस्सू के द्वारा छोडी गई आराजी की बाबत विधिवत् रूप से जॉच नहीं की गई न कब्जे बाबत जॉच की गई, न कोई नोटिस दिया गया यदि मौके पर कब्जे की बाबत जॉच की जाती तो सही तथ्य ग्राम पंचायत कैर को आ जाते अत : उक्त नामान्तकरण जेर अपील मौके व कब्जे काश्त तथा कानून के विपरित है व बिदआउट ज्यूडिक्शन है तथा निरस्त होने योग्य है जिनके कायम रहने से मुझ अपीलान्ट के हकूको पर भी प्रतिकूल प्रभाव पडता है। दोनों नामान्तकरण जेर अपील के स्वीकार करने से पहले मुझ अपीलान्ट को सुने जाने का अवसर नहीं दिया गया है न मुझे कोई नोटिस दिया। अतः उक्त दोनों नामान्तकरण जेर अपील प्राकृतिक सिद्वान्तों के विपरित है और निरस्त होने योग्य है। दिनांक 07.09.2022 को अपीलान्ट अपनी आराजी में खडी फसल को देखने गया तो रैस्पोंडेन्ट संख्या 3 व 4 मौके पर आये और उन्होने बताया व धमकी दी कि अपील की खण्ड संख्या 3 में दर्ज आराजी खसरा नम्बरान ने हमने 1/12 हिस्सा रैस्पोडेन्ट केशन्ती से खरीद कर लिया है अब तुमको इस 1/12 हिस्सा की फसल को नहीं लेने देगें और न जोतने बोने देगें। अपीलान्ट बयाना आया और नकूलात हासिल की तब रैस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 व अन्य द्वारा की गई चार सौ बीसी का सर्वप्रथम पता चला तब अपीलान्ट रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद से ही बीमार चला आ रहा है आज ठीक होने पर बयाना आया और वकील साहब से जानकारी कर नकले प्राप्त कर यह

उप खण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर) राज

अपील बिना देरी के प्रस्तुत की जा रही है। अन्य बाते वक्त बहस जुबानी अर्ज की जावेगी। अन्त में अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में जेर अपील नामान्तकरण संख्या 1225 निर्णय दिनांक 20.03.2018 व नामान्तकरण संख्या 167 निर्णय दिनांक 15.12.2000 ग्राम पंचायत कैर निरस्त फरमाया जाकर राजस्व अभिलेख में हो रहे इन्द्राज को कलमजन फरमाया जावें तथा उक्त वर्णित आराजी खसरा नम्बरान से 1/4 हिस्से का अपीलान्ट को खातेदार दर्ज फरमाया जावें का निवेदन किया।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पोडेन्ट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। रैस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 की ओर अपीलान्ट की ओर से पेश किये गये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने में निम्नलिखित आपत्तिया पेश की:—

1. अपीलान्ट द्वारा नामान्तकरण संख्या 1225 तारीखी 20.03.2018 व नामान्तकरण संख्या 167 तारीखी 15.12.2000 ग्राम पंचायत कैर को निरस्त कराने के लिए यह अपील पेश की गई है। नामान्तकरण 167 दिनांक 15.12.2000 स्वंय अपीलान्ट द्वारा अपने व रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के हक में हल्का पटवारी से दर्ज कराकर तस्दीक ग्राम पंचायत कैर में कराया गया है जिसकी नामान्तकरण संख्या 1225 दिनांक 20.03.2018 की भी जानकारी अपीलान्ट को उसी दिन से बखूबी रही है जो नियमानुसार तस्दीक किये गये है तथा राजस्व रिकार्ड में उन्ही के आधार पर इन्द्राज किये गये है। अपीलान्ट द्वारा इस बात से कही इन्कार नहीं किया गया है कि उसे राजस्व रिकार्ड की जानकारी नहीं रही हो। अपीलान्ट स्वंय अपने हिस्से का न्यारान्यूर लगान राजस्व जमा कराता रहा है जिससे यह बखूबी साबित है कि राजस्व रिकार्ड में उसके नाम कितने रकवा दर्ज चला आ रहा है तथा अन्य हिस्से पर स्वंय उसके साथ रैस्पोडेन्ट केशन्ती का नाम दर्ज चला आ रहा है और केशन्ती ही उस हिस्से की राजस्व लगान अदा करती चला आई है तथा दिनांक 20.03.2018 के बाद रैस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज होकर काश्त करते चले आ रहे है जिसकी जानकारी भी अपीलान्ट को रही है।
2. अपीलान्ट का यह कथन नितानत गलत, असत्य व बनावटी है कि दिनांक 07.09.2022 को या अन्य कभी भी रैस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 ने प्रार्थना पत्र में वर्णित इस प्रकार की कोई धमकी दी हो। अपील पेश करने की गरज से झूठे व असत्य कथन किये गये है जो किसी भी प्रकार स्वीकार नहीं है।
3. अपीलान्ट द्वारा गलत व झूठी रैस्पोडेन्टस पर अनैतिक दबाव बनाने की नियत से कराई गई है। अपीलान्ट द्वारा पेश की गई अपील किसी भी प्रकार मियाद के अन्दर नहीं है तथा अपीलान्ट द्वारा यह भी नहीं बताया गया है कि वह किस बीमारी से व कब से कब तक बीमार रहा है तथा न ही कोई ईलाज सम्बन्धी कागज पेश किये है। अपील अपीलान्ट द्वारा करीब 22 साल बाद पेश की गई है। अतः अपील अपीलान्ट मियाद बाहर होने से निरस्त योग्य है तथा इतने लम्बे समय की डिले कन्डोन किया जाना किसी भी प्रकार न्यायोचित नहीं है।

प्रकरण में सर्वप्रथम म्याद अधिनियम धारा 5 पर निर्णय किया जाना आवश्यक है। अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम में उल्लेख किया कि दिनांक 07.09.2022 को अपीलान्ट अपनी आराजी में खडी फसल को देखने गया तो रैस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 मौके पर आए और उन्होने बताया व धमकी दी है कि अपील की खण्ड संख्या 3 में दर्ज आराजी को हमने 1/12 हिस्सा रैस्पोडेन्ट केशन्ती से खरीद कर लिया है। हम तमको 1/12 हिस्सा पर फसल नहीं बोने देगे। अपीलान्ट बयाना आया और नकूलात हासिल की। तब रैस्पोडेन्टस संख्या 01 लगायत 4 व अन्य द्वारा की गई चार सौ बीसी का पता सर्वप्रथम चला, तब अपीलान्ट ने

उप खण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर) राज

जरिए इस्तगासा थाना बयाना में रिपोर्ट दर्ज कराई रिपोर्ट दर्ज करने के वक्त से अपीलान्ट बीमार था आज ठीक होने पर बयाना आया। वकील साहब से जानकारी कर नकले प्राप्त कर यह अपील बिना देरी के प्रस्तुत की जा रही है। अपील प्रस्तुत करने में हुई डिले कन्डोन किये जाने निवेदन किया।

एतराज अपील स्वीकार करने में रैस्पोडेन्टस ने अपील देरी से पेश करने पर म्याद बाहर बताया है। अपीलान्ट ने यह भी नहीं बताया है कि वह किस बीमारी से कब से कब तक बीमार रहा ईलाज के कोई कागज पेश नहीं किए अपीलान्ट द्वारा अपील 22 साल बाद पेश की, जो म्याद बाहर होने के कारण निरस्त योग्य है इतने लम्बे समय तक डिले कन्डोन किया जाना न्यायोचित नहीं है। अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया।

हमने विद्वान अभिभाषकगणों को सुना। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट में अपने अपील प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों अपीला अपीलान्ट एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। न्यायिक दृष्टान्त में RRD 1989, RRD 1965, RRD 1993, RRD 1998, 2009 (1) पेश किये। विद्वान अभिभाषक रैस्पोडेन्टस 2, 3, 4 का तर्क है कि नामान्तकरण विरासत का दिनांक 14.12.2000 को दर्ज कर अपीलान्ट के कहने पर पंचायत में स्वीकृत हुआ है। विरासत के नामान्तकरण में अपीलान्ट, के साथ–साथ उसके स्वंय , उसकी मां व केशन्ती का नाम दर्ज है। क्या तत्समय से अपीलान्ट ने अपना विरासत का नामान्तकरण 167 निर्णय दिनांक 15.12.2000 की जानकारी 22 वर्ष तक नहीं हुई सम्भव नहीं है। पत्रावली में अपीलान्ट नामान्तकरण की नकल दिनांक 22.08.2022 को प्राप्त की। जबकि अपने प्रार्थना पत्र अपील में जानकारी की तिथि रैस्पोडेन्टस 3 व 4 द्वारा धमकी देने पर दिनांक 07.09.2022 को होना अंकित किया है। जो विरोधाभाषी झूठा मनगढन्त है। रैस्पोडेन्टस 2, 3, 4 का यह भी तर्क है कि अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्टस के खिलाफ थाना बयाना में FIR दर्ज कराने का उल्लेख किया है। FIR कब किस तारीख को कराई है, अपने प्रार्थना पत्र में कही भी उल्लेख नहीं किया एव ना ही FIR की नकल पेश की। रैस्पोडेन्ट संख्या 2, 3, 4 का यह भी तर्क है कि अपीलान्ट ने अपनी अपील में बीमारी का का उल्लेख किया है बीमारी कब से कब तक रही किसी प्रकार का अपील प्रार्थना पत्र अथवा धारा 5 म्याद अधिनियम में उल्लेख नहीं है, एव ना ही बीमारी के कोई दस्तावेजात ही पेश किए। मात्र डिले कन्डोन का निवेदन कर इतने लम्बे समय तक की डिले को बिना साक्ष्य सबूतो के डिले कन्डोन नहीं किया जा सकता है। डिले कन्डोन प्रत्येक दिवस के लिए स्पष्ट होता है। अपीलान्ट द्वारा यह अपील म्याद के बाहर पेश की है। म्याद में अपील पेश नहीं करने के कारण अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया है। न्यायिक दृष्टान्त में CJ 2024 (2) (CIV.) SC एवं CJ 2024 (2) (CIV.) (Raj.) पेश की।

विद्वान अभिभाषकगणों को सुनने के उपरान्त हमने पत्रावली व पत्रावली में सलंग्न राजस्व रिकार्ड का गहनता से अवलोकन किया। यह सही है कि विस्सू के फौत होने पर नामान्तकरण विरासत का दिनांक 15.12.2000 को दर्ज होकर तस्दीक हुआ। नामान्तकरण संख्या 167 में विस्सू के विरासत पर उसकी पत्नी, स्वंय अपीलान्ट व केशन्ती के नाम दर्ज हुआ, तथा तत्समय इस बात की जानकारी नहीं रही थी विरासत का नामान्तकरण उसकी मां के साथ–साथ केशन्ती के नाम दर्ज हुआ। क्या इतने लम्बे समय तक अपीलान्ट द्वारा अपने राजस्व अभिलेख का अवलोकन नहीं किया। विचारणीय बिन्दु है। अपीलान्ट द्वारा उक्त आराजी का राजस्व लगान भी जमा किया होगा। यह बात भी सही है कि अपीलान्ट ने नामान्तकरण संख्या 167 की नकल दिनांक 22.08.2022 को पटवारी हल्का से प्राप्त की। तिथि नकल में अंकित है। इस क्रम में अपीलान्ट अपने अपील प्रार्थना पत्र में नामान्तकरण की जानकारी दिनांक 07.09.2022 को होना अंकित करता है। यह विरोधाभाषी नही तो और क्या है। नकल प्राप्त करने के बाद भी अर्थात

उप खण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर) राज

जानकारी होने के उपरान्त एक माह के अन्दर अपील पेश नहीं कर अपील अपीलान्ट द्वारा यह अपील लगभग 04 माह बाद पेश की है। डिले कन्डोन में कितने दिनों का डिले कन्डोन किया जाता है इसका कही उल्लेख नहीं है। डिले कन्डोन का उल्लेख अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम में किया है। यहां भी अपीलान्ट कब से कब तक बीमार रहा। कौनसी बीमारी थी। किसी प्रकार का उल्लेख अथवा दस्तावेजात पेश नहीं किये। इससे सिद्व होता है कि अपीलान्ट को उक्त नामान्तकरण की जानकारी दिनांक 22.08.2022 को ही थी। जानकारी प्राप्त होने के बाद भी अपीलान्ट द्वारा अपील म्याद बाहर पेश की है जो विधि विरूद्व है। डिले कन्डोन में भी डिले कन्डोन कितने दिनों का किया जाना है स्पष्ट उल्लेख नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम खारिज योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम खारिज होने की दशा में अपील अपीलान्ट विधि से वर्जित होने के कारण इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद–तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10/9/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर) राज